न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 104/2017

1. जनकसिंह पुत्र रघुवीर सिंह
2. राजरोसी पुत्र रघुराज सिंह
3. राजाराम पुत्र सजन सिंह
4. किशनसिंह पुत्र सजन सिंह

} जातियान गुर्जर, निवासी लुहारखेडा तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांटान

बनाम

1. अतरा देवी पत्नी दातारसिंह
2. द्रोपती देवी पत्नी हरिसिंह

} जातियान गुर्जर, निवासी लुहारखेडा तहसील टोडाभीम जिला करौली

3. तहसीलदार तहसील टोडाभीम, जिला करौली

रेस्पोटेडान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम मु0न0 28/2015 निर्णय व डिग्री दिनांक 14.06.2017)

उपस्थित अभिभाषक
1. अपीलांटान की और से श्री सुरेश चन्द शर्मा
2. रेस्पोडेटान की श्री रामभरोसी गुप्ता

निर्णय **दिनांक 31.10.2019**

उक्त अपील विरूद्व निर्णय व डिकी दिनांक 14.06.2017, मु0न0 28/2015 न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0/वादी ने दावा बाबत डिविजन आफ होल्डिगं व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 टि0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि दावा वादी खिलाफ अपीलांट/ प्रतिवादीगण 1 ल0 4 बाबत डिविजन आफ होल्डिंग डिकी किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 723 रकबा 1.08 हैक्टयर कुल किता 01 कुल रकबा 1.08 हैक्टयर हिस्सा 58/108 तथा भूमि आराजी खसरा नम्बर 625 रकबा 0.21 हैक्टयर, 708/846 रकबा 0.08 हैक्टयर, 709 रकबा 0.92 है0, 710/845 रकबा 0.10 है0, 711 रकबा 0.94 है0, 712/843 रकबा 0.12 है0, 713/844 रकबा 0.12 हैक्टयर, 717/842 रकबा 0.12 है0, 720/841 रकबा 0.08 है0 कुल किता 09 कुल रकबा 2.69 हैक्टयर, हिस्सा 119/269 स्थित ग्राम लुहारखेडा तहसील टोडाभीम के रेस्पो0/वादीगण खातेदार काश्तकार है तथा हॉल रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी दर्ज है। वादीगण ने यह भूमि पूर्व खातेदारों से दिनांक 06.05.2014 व दिनांक 10.12.2014 को जरिये रजिस्टर्ड विकयपत्र खरीद की है तथा यह विकयपत्र उपपंजीयक कार्यालय में रजि0 व पंजीबद्ध हुआ है। वकिया हिस्सा के अपीलांट/प्रतिवादी नम्बर 01 ल0 04 खातेदार है तथा रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी दर्ज है उक्त बाबत रेस्पो0/वादीगण तहत न्यायालय में दावा लेकर आये थे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नानुसार फाइनल डिकी किया खसरा नम्बर 625 रकबा 0.21 हैक्टयर, 708/846 रकबा 0.08 हैक्टयर, 709 रकबा 0.92 है0, 710/845 रकबा 0.10 है0, 711/1 रकबा 0.26 है0, 712/843 रकबा 0.08 है0, 713/844 रकबा 0.12 है0, कुल किता 07 कुल रकबा 1.77 है0 ग्राम लुहारखेडा तहसील टोडाभीम का रेस्पो0/वादी अतरा देवी हिस्सा 1/2 रेस्पो0/वादी द्रोपती देवी हिस्सा 1/2 के खातेदार

Scanned by CamScanner

काश्तकार घोषित किये गये है तथा खसरा नं0 723 रकबा 1.08 है0, 717/842 रकबा 0.12 है0, 720/841 रकबा 0.08 है0, 712/843/1 रकबा 0.04 है0, 711 रकबा 0.68 है0, कुल किता 05 रकबा 2.00 है0 स्थित ग्राम लुहारखेडा तहसील टोडाभीम में अपीलांट/प्रतिवादी जनकसिंह हिस्सा 75/200 अपीलांट/प्रतिवादी राजरोसी हिस्सा 50/200, प्रतिवादी राजाराम हिस्सा 25/200 प्रतिवादी किशनसिंह हिस्सा 50/200 को खातेदार घोषित किये गये है तथा रहन मुर्तहन का इन्द्राज रेस्पो0/वादीगण की उपरोक्त भूमि पर तथा अपीलांट/प्रतिवादी की उपरोक्त भूमि पर बदस्तूर रहेगा। उक्तानुसार फाईनल डिक्री पारित की गई। अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर उक्त अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस अपील में बताया कि आराजी खसरा नम्बर 723 रकबा 1.08 हैक्टयर कुल किता 01 कुल रकबा 1.08 हैक्टयर हिस्सा 58/108 तथा भूमि आराजी खसरा नम्बर 625 रकबा 0.21 हैक्टयर, 708/846 रकबा 0.08 हैक्टयर, 709 रकबा 0.92 है0, 710/845 रकबा 0.10 है0, 711 रकबा 0.94 है0, 712/843 रकबा 0.12 है0, 713/844 रकबा 0.12 हैक्टयर, 717/842 रकबा 0.12 है0, 720/841 रकबा 0.08 है0 कुल किता 09 कुल रकबा 2.69 हैक्टयर, हिस्सा 119/269 स्थित ग्राम लुहारखेडा तहसील, टाडाभीम में स्थित है उक्त आराजीयात ख0नं0 723 रकबा 1.08 है0 में अपीलांटस 50/108 हिस्से की खातेदार है तथा शेष 58/108 हिस्से की खातेदार रेस्पोडेन्ट नं0 1, 2 खातेदार है तथा आराजीयात ख0नं0 625,708/846,709,710/845,711,712/ 843,713/ 844,717/842,720/841 कुल किता 9 कुल रकबा 2.69 है0 में अपीलांटस 150/269 है0 खातेदार है तथा रेस्पोडेन्ट नं0 1,2 119/269 है0 खातेदार रेवन्यू रिकार्ड में दर्ज है। ख0नं0 723 में रेस्पोडेन्ट का 58/108 तथा शेष नम्बरान में 119/269 हिस्सा है जो रेस्पोडेन्ट नं0 1,2 द्वारा पूर्व में खातेदारान द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.05.2014 व दिनांक 10.12.2014 को खरीद लिया तथा अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट सहखातेदार है तथा उन्होंने काश्त की सहूलियत की दृष्टि से मौका पर भूमि का बंटवारा कर रखा है। अदालत मातहत द्वारा उक्त बंटवारा स्कीम को बिना अपीलांटस की जानकारी में लाये बिना अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिये। मौका रिपोर्ट नायब तहसीलदार बालघाट द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम तारीख 30.05.2017 में अपीलांट तथा अन्य सहखातेदारान के हस्ताक्षर कराये बिना पेश की गई है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने उसे सही मानकर भारी भूल की है । बंटवारा स्कीम पर सभी सहखातेदारान के हस्ताक्षर आवश्यक है अगर सहखातेदारान द्वारा हस्ताक्षर नही किये गये उन्होने मना किया हो तो उसका नोट अंकित करना चाहिये था कि हस्ताक्षर करने से मना किया गया है न्याय आपके द्वार राजस्व कैम्प का शिवर उरदेन में अन्तिम निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 14.06.2017 में उभय पक्षकारान को उपस्थित होना। उनको प्राथमिक डिक्री की बंटवारा स्कीम बताने बाबत एक दम गलत अंकित किया है। उक्त दिवस पर कोई भी पक्षकारान के अधिवक्ता तथा पक्षकारान मौके पर उपस्थित नही थे और ना ही आदेशिका पर अधिवक्ता या पक्षकारान के हस्ताक्षर है। अदालत मातहत द्वारा उक्त कुरेजात के बाबत मौका कमिश्नर महोदय द्वारा ना तो पक्षकारान को नोटिस दिया और ना ही सूचना दी और ना ही मौके पर गये तथा रेस्पोडेन्ट/वादीया द्वारा बताये कहे अनुसार ही मौका रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत कर दी है जिसमें अपीलांटस को कब्जे बाबत एतराजात प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं मिला अपीलांटस के काबिज ख0नं0 709, 711 की खातेदारी में से 709 सम्पूर्ण रकबा 711 में से 711/1 का 0.26 है0 रकबा रेस्पोडेन्ट को बंटवारा स्कीम में अंकित बताकर तथा ख0 नं0 123 रकबा 1.08 है0 के एक इंच जमीन पर भी अपीलांटस का कब्जा काश्त नहीं है। उसे अपीलांटस के नाम करके बेजा भुलकर मौके के विपरीत कुरेजात बनायी जाकर न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिस पर न्यायालय ने गौर नहीं किया। कमिश्नर महोदय द्वारा रिपोर्ट में बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस की पालना नहीं की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना नही कर खिलाफ कानून फाईनल डिक्री पारित की है।

Scanned by CamScanner

अपीलांटस/प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 17.10.2012 को अदालत में आकर अपने मुकदमें की जानकारी की अपने वकील से चाही तो पता चला कि बिना सूचना के अदालत मातहत ने मुकदमा दिनांक 14.06.2017 को अन्तिम फैसला कर दिया है। इस पर वकील द्वारा दीपावली बाद आकर मुकदमा के फैसले की नकल की दरखास्त लगाने को कह दिया तथा दिनांक 24.10.2017 को नकल लेकर अपील अन्दर योग जानकारी अन्दर म्याद प्रस्तुत की है जिसमें अपीलांट का कोई दोष किसी भी प्रकार का नहीं है। अतः दिनांक 14.06.2017 से आज तक का डिले कन्डोन फरमाया जाना न्याय संगत है। इस प्रकार अपील हाजा इल्म की तारीख से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है तथा अपीलांट की अपील अन्दर मियाद मानी जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोडेन्टान के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील में बताया कि अपीलांट ने न्यायालय हाजा मे अपील मियाद बाहर पेश की गई है। अधिनस्थ न्यायालय में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.06.2017 को किया गया है तथा न्यायालय हाजा में यह अपील 31.10.2017 को पेश की गई है। अपील करीब 4 माह बाद विलम्ब से अपील पेश की गई है वह भी बिना किसी ठोस आधार के विलम्ब से पेश की गई है। अपील मियाद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0/वादीगण का प्राथमिक डिक्री कर नायब तहसीलदार बालघाट को आदेश दिये गये थे कि खसरा नम्बर 723 रकबा 1.08 हैक्टयर कुल किता 01 कुल रकबा 1.08 हैक्टयर हिस्सा 58/108 तथा भूमि आराजी खसरा नम्बर 625 रकबा 0.21 हैक्टयर, 708/846 रकबा 0.08 हैक्टयर, 709 रकबा 0.92 है0, 710/845 रकबा 0.10 है0, 711 रकबा 0.94 है0, 712/843 रकबा 0.12 है0, 713/844 रकबा 0.12 हैक्टयर, 717/842 रकबा 0.12 है0, 720/841 रकबा 0.08 है0 कुल किता 09 कुल रकबा 2.69 हैक्टयर हिस्सा 119/269 स्थित ग्राम लुहारखेडा तहसील, टाडाभीम में स्थित है। वादीगण/रेस्पो0 का हिस्सा मुताबिक जमाबंदी अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये। नायब तहसीलदार बालघाट ने फर्द मौका बटवारा स्कीम मुताबिक जमाबंदी रिकार्ड खातेदारी मय ट्रेस न्यायालय में भिजवाये न्याय आपके द्वार राजस्व कैम्प का शिविर उरदेन ग्राम पंचायत में उक्त पत्रावली पेश हुई। वाद पत्र की आदेशिका में वकील उभयपक्ष उपस्थित बताया है। पक्षकारान के वकील ने इस बटवारा स्कीम पर कोई आपती जाहिर नहीं की है और कथन किया कि मुताबिक बटवारा स्कीम दावा फाइनल डिक्री कर दिया जावे। जिसमें किसी प्रकार की कानूनी भूल निहित नहीं है। बंटवारे के दावे के अंतर्गत मीटस एण्ड बाउण्डस का ध्यान रखा जाकर ही बंटवारा किया जाता है और उसी के अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फाइनल डिक्री किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सिद्धान्तों के अनुरूप ही विधि संवत निर्णय पारित किया है। अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्षों की बहस अपील एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि रेस्पो0/वादी का अधिनस्थ न्यायालय में अपने वाद पत्र में कथन रहा है कि खसरा नम्बर 723 रकबा 1.08 हैक्टयर कुल किता 01 कुल रकबा 1.08 हैक्टयर हिस्सा 58/108 तथा भूमि आराजी खसरा नम्बर 625 रकबा 0.21 हैक्टयर, 708/846 रकबा 0.08 हैक्टयर, 709 रकबा 0.92 है0, 710/845 रकबा 0.10 है0, 711 रकबा 0.94 है0, 712/843 रकबा 0.12 है0, 713/844 रकबा 0.12 हैक्टयर, 717/842 रकबा 0.12 है0, 720/841 रकबा 0.08 है0 कुल किता 09 कुल रकबा 2.69 हैक्टयर हिस्सा 119/269 स्थित ग्राम लुहारखेडा तहसील, टाडाभीम में स्थित है। रेवन्यू रिकार्ड में इन्द्राज है। उक्त आराजीयात ख0नं0 723 रकबा 1.08 है0 में अपीलांटस 50/108 हिस्से की खातेदार है तथा शेष 58/108 हिस्से की खातेदार रेस्पोडेन्ट नं0 1, 2 खातेदार है तथा आराजीयात ख0नं0 625,708/846,709,710/845,711,712/843,713/ 844,717/842,720/841 कुल किता 9 कुल रकबा 2.69 है0 में अपीलांटस 150/269 है0 खातेदार है तथा रेस्पोडेन्ट नं0 1,2 119/269 है0 खातेदार रेवन्यू रिकार्ड में दर्ज है। ख0नं0 723 में रेस्पोडेन्ट का 58/108 तथा शेष नम्बरान में 119/269 हिस्सा है जो रेस्पोडेन्ट नं0 1,2 द्वारा पूर्व में खातेदारान द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.05.2014 व दिनांक 10.12.2014 को खरीद लिया तथा अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट सहखातेदार है। अदालत मातहत द्वारा उक्त कुरेजात के बाबत नियुक्त मौका कमिश्नर द्वारा ना तो पक्षकारान को नोटिस दिया और ना ही सूचना दी एवं मौका रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत कर दी है जिसमें अपीलांटस को कब्जे

Scanned by CamScanner

बाबत एतराजात प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं मिला, कमिश्नर द्वारा रिपोर्ट में बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड की पालना नहीं की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना नही कर खिलाफ कानून फाईनल डिक्री पारित की है। अपीलांटस/प्रतिवादीगण द्वारा अदालत में आकर अपने मुकदमें की जानकारी की अपने वकील से चाही तो पता चला कि बिना सूचना के अदालत हाजा मुकदमा दिनांक 14.06.2017 को अन्तिम फैसला कर दिया है। इस पर वकील द्वारा दीपावली बाद आकर मुकदमा के फैसले की नकल की दरखास्त लगाने को कह दिया तथा दिनांक 24.10.2017 को नकल लेकर अपील अन्दर योग जानकारी अन्दर म्याद प्रस्तुत की है जिसमें अपीलांट का कोई दोष किसी भी प्रकार का नहीं है। अतः दिनांक 14.06.2017 से आज तक का डिले कन्डोन फरमाया जाना न्याय संगत है। इस प्रकार अपील हाजा इल्म की तारीख से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है तथा अपीलांट की अपील धारा 5 मियाद न्यायहित में कन्डोन मानी जाकर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार करना उचित समझता हूँ।

अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उप जिला कलक्टर, टोडाभीम का निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2017 मु0नं0 28/2015 निरस्त किया जाता है एवं पत्रावली उप जिला कलक्टर, टोडाभीम के पास इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि दोनो पक्षों की बंटवारे सम्बन्धित रिपोर्ट तहसीलदार पर एतराज लेकर व सुनवाई कर उसके बाद नियमानुसार अन्तिम डिक्री पारित की जावे। पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.12.2019 को उपस्थित हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

31.10.19

(बी. एल. रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2019.11.18 17:49:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: